

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर  
 श्रीराम बगैरा बनाम स्टेट व अन्य  
 अपील प्रकरण सं० ०१/2023

अधिवक्ता अपीलार्थी :- श्री सुरेश अरोड़ा अधिवक्ता रेस्पोंडेंटस:-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
02.02.2023	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकॉर्ड तलबी हेतु दिनांक 24.02.2023 को पेश हो। बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ..... को पेश हो है। पत्रावली दिनांक 20/2/2023	2/2/23 6/2
24/2/23	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ..... को पेश हो है। पत्रावली दिनांक 20/2/2023	
20/2/23	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ..... को पेश हो है। पत्रावली दिनांक 29/2/23	
25/2/23	पीठासीन अधिकारी ..... कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 29/5/23	
29/5/23	अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध रिपोर्ट सं० 2 की तलबी बहालील प्राप्त हुई। रिपोर्ट सं० 2 : बहालील अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते उपस्थित तलबी दिनांक 21/6/23 को पेश हो।	
21/6/23	पीठासीन अधिकारी ..... कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 4/8/23 को पेश हो।	
4/8/23	अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध रिपोर्ट सं० 2 की तलबी बहालील प्राप्त हुई। रिपोर्ट सं० 2 : बहालील अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते उपस्थित तलबी दिनांक 21/6/23 को पेश हो।	
29/2/23	पीठासीन अधिकारी अवकाश-अग्रण पर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 29/11/23 को पेश हो।	

13-8-25

पीठासीन अधिकारी अवकाश प्रमाण पर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 2-9-25 को पेश है।

03/9/25

पीठासीन अधिकारी अवकाश प्रमाण पर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 24/9/25 को पेश है।

24-09-25

अधिवक्ता उच्चपक्ष उपस्थित। वदम हेतु अवसर व्याहाराया, जो डिप्टी ग्याग पत्रावली वास्तव वदम दिनांक 04/11/25 को पेश है।

4.11.2025

अधिवक्ता उच्चपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता की कार्यवाही द्वारा लिखित वदम पेश करते हेतु निवेदन किया, जो खीमा छिया पत्रावली वास्ते लिखित वदम पेश करते एवं वदम हेतु दिनांक 11.11.2025 को पेश है।

11.11.25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित नहीं। अधिवक्ता अपीलान्त को पृथक-पृथक समय पर रूक-रूक कर बार-बार आवाजे लगाई गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे व बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे।

आदेश सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर